उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग–3

संख्या–3262/9–आ–3–2002–100 विविध/97

लखनऊ : दिनांक : 27 अगस्त, 2002

अधिसूचना

उ0प्र0 राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम) 2975 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–30 सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–11, सन् 1973) की धारा–53 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन श्री राज्यपाल सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ आवश्यक निर्माण को अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या–3369/9–आ–3–97–100 विविधि/97, दिनांक 24 जनवरी, 1998 के प्रस्तर–1 में उल्लिखित शर्त सं0–2 में निम्नलिखित आंशिक संशोधन करते हैः–

अधिसूचना का मूल प्राविधान	संशोधित प्राविधान
सेवा ऑपरेटर द्वारा निर्माण कार्य किये जाने से पूर्व आर्किटेक्ट काउंसिल द्वारा पंजीकृत आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र इस प्रमाण–पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा कि प्रस्तावित एन्टीना टावर प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित हैं, भवन जिस पर टावर निर्मित किया जाना है (यदि ऐसा हो तो) भी टावर के साथ सुरक्षित है तथा प्रस्तावित कक्ष जिसका कुल क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर से अनाधिक होगा, भवन निर्माण उपविधियों के अन्तर्गत है।	सेवा ऑपरेटर द्वारा निर्माण कार्य किये जाने से पूर्व आर्किटेक्ट काउंसिल द्वारा पंजीकृत आर्किटेक्ट एवं अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र इस प्रमाण के साथ प्रस्तुत करेगा कि प्रस्तावित टावर प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित है, भवन जिस पर टावर निर्मित किया जाना है (यदि ऐसा हो तो) भी टावर के साथ सुरक्षित है तथा प्रस्तावित कक्ष जिसका कुल क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर से अनाधिक होगा, भवन निर्माण उपविधियों के अन्तर्गत है।

पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं0—3369 / 9—आ—3—97—100 विविध / 97 दिनांक—24 जनवरी, 1998 को इस सीमा तक संशोधित माना जाय।

भवदीय,

जे0एस0मिश्र,
सचिव।

संख्या—3262(1) / 9—आ—3—2002—100 विविधि / 97 तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना, उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में केवल (हिंदी पाठ में) दिनांक 22 अगस्त, 2002 को विधायी परिशिष्ट भाग—4 खण्ड (ख) में प्रकाशन एवं अधिसूचना की मुद्रित 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम

उप सचिव।
संख्या—3262(2) / 9—आ—3—2002—100 विविधि—97 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

2. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4. उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

5. अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु को सूचनार्थ।

6. आवास विभाग के समस्त अनुभाग। आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव।